ग्राम पंचायत बड़साला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बड़साला विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति मधु बाला	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्री सुरेश कुमार बांका	23.1.2016 से अघतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति मीना कुमारी	1.4.2013 से 4.9.2014
2.	श्रीमति शम्मो रानी	5.9.2014 से 1.12.2014
3.	श्रीमति मीना कुमारी	2.12.2014 से 8.6.2015
4.	श्री जुगल किशोर	9.6.2015 से 17.3.2016
5.	श्रीमति हरदीप कौर	18.3.2016 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बड़साला के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	7	खाता (ख) के अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.29
2.	8	अनुदानों को उपयोग न करना	2.85
3.	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.09
4.	10	पंचायत द्वारा क्रय किए गए सामान को स्टॉक/स्टोर रजिस्टरों में दर्ज न करना	0.65

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत बड़साला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 31.8.2016 से 3.9.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 7/13, 11/14, 5/15 व 3/14, 7/14, 1/16 का चयन किया गया, जिसके परिणाम को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत बड़साला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अधियाचना संख्याः 262, दिनांक 1.9.2016 द्वारा सचिव पंचायत बड़साला से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत बड़साला द्वारा के0सी0सी0बी0 बड़साला के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 670147, दिनांक 1.9.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत बड़साला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत बड़साला के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	98776.10	41821.34	140597.44	18470.50	122126.94
2014–15	122126.94	43253	165379.94	38787	126592.94
2015–16	126592.94	40433	167025.94	104395	62630.94

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत बड़साला के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	208899.80	766186	975085.80	833515.80	141570
2014–15	141570	1183432	1325002	1167022	157980
2015–16	157980	1557580	1715560	1430930	284630

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़साला द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खाते में ₹79484.89 का अन्तर था। अतः पंचायत रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत का अन्तशेष =		₹62630.94
दिनांक 31.3.2016 को अनुदान राशि का अन्तशेष =		₹284630
	योग	**₹347260.94**

अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	शीर्ष/निधि	राशि	हस्तगत राशि	योग
1.	20013012638	के0सी0सी0बी0 ऊना	योजना	205578.05	185	205763.05
2.	20013049590	–	योजना	57542	–	57542
3.	50051739743	–	13वें वित्तायोग	481	–	481
4.	20096048237	–	आर0जी00ए0वाई / ए0ए0वाई0 / आई0ए0वाई0	3692	–	3692
5.	50051741232	–	आई0ए0वाई0	298	–	298
			योग	**₹26759105**	**₹185**	**₹267776.05**

अन्तर (₹347260.94–₹267776.05)=₹79484.89

4.2 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 रोकड़ वही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ वही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु तीन रोकड वहियां अलग से लगाई गई थी, जो अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्लन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव ग्राम पंचायत बड़साला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 पंचायत राजस्व गृहकर ₹761 की राशि की वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	281	3345	3626	3360	266
2014–15	266	3420	3686	3360	326
2015–16	326	7230	7556	6795	761

अतः गृहकर ₹761 की बकाया राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

7. खाता (ख) के ब्याज ₹0.29 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता ख से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता क में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत बड़साला के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज में राशि को स्वयं संसाधनों के खाता–क में ₹28760 को अन्तरित नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता–ख के बैंक खातों में अर्जित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	वर्ष	वित्तायोग	योजना	आई0ए0वाई0	मनरेगा	कुल योग
1.	2013–14	26	132	1375	7269	8802
2.	2014–15	85	138	597	9552	10372
3.	2015–16	10	144	–	9432	9586
	योग	**₹121**	**₹414**	**₹1972**	**₹26253**	**₹28760**

8. अनुदान ₹2.85 लाख का उपयोग न करना:–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट–1 के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदान ₹284630 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान

व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.09 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹108810 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. पंचायत द्वारा क्रय किए गए ₹0.65 लाख के सामान को स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹64825 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन क्रय की गई मदों की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गई थी। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :–

ग्राम पंचायत बड़साला में संलग्न परिशिष्ट–4 के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान ₹229512 के मस्टरोलों द्वारा मजदूरी का भुगतान विभिन्न विकास कार्यों को करवाने हेतु किया गया, लेकिन करवाए गए विकास कार्यों के अनुमान/प्राकलन व वास्तविक रूप से निष्पादित किए गए कार्यों के मापन की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप करवाए गए कार्यों की वास्तविकता की जांच अंकेक्षण के दौरान सम्भव नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. मानदेय/वेतन के रूप में भुगतान दर्शाई गई ₹1.25 लाख के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों को योजना रोकड़ वही से पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को मानदेय एवं वेतन का भुगतान निम्नानुसार किया गया है।

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	प्रतिनिधि/कर्मचारी का नाम	पद	अवधि	राशि (₹)
1.	53, 7.3.14	श्री गुरदेव चन्द	चौकीदार	2/14	1800x1=1800
2.	54, 7.3.14	श्रीमति मधु बाला	प्रधान	7/13 से 12/13	1800x6=10800
3.	56, 8.3.14	श्रीमति प्रवीण कुमारी	वार्ड सदस्य	–यथोपरि–	175x6=1050
4.	57, 9.3.14	श्री शादी लाल	उप–प्रधान	–यथोपरि–	1500x6=9000
5.	58, 10.3.14	श्रीमति अनीता देवी	वार्ड सदस्य	–यथोपरि–	175x12=2100
6.	59, 10.3.14	श्रीमति कंचन	–यथोपरि–	–यथोपरि–	175x12=2100
7.	60, 10.3.14	श्रीमति शनिन्द्र कौर	–यथोपरि–	–यथोपरि–	175x12=2100
8.	62, 10.3.14	श्री अश्वनी कुमार	जल रक्षक	9/13 से 11/13	1350x3=4050
9.	11, 6.7.14	श्री गुरदेव चन्द	चौकीदार	6/14	1800x1=1800
10.	14, 8.7.14	श्रीमति मधु बाला	प्रधान	1/14 से 3/14	1800x3=5400
11.	15, 8.7.14	श्री शादी लाल	उप प्रधान	–यथोपरि–	1500x3=4500
12.	16, 6.7.14	श्रीमति प्रवीण कुमारी	वार्ड सदस्य	–यथोपरि–	175x6=1050
13.	17, 6.7.14	श्रीमति शनिन्द्र कौर	–यथोपरि–	–यथोपरि–	175x6=1050
14.	18, 8.7.14	श्रीमति कंचन	–यथोपरि–	–यथोपरि–	175x6=1050
15.	19, 8.7.14	श्री अनीता देवी	–यथोपरि–	–यथोपरि–	175x6=1050
16.	26, 17.7.14	श्री अश्वनी कुमार	जल रक्षक	–यथोपरि–	1050x3=4050
17.	51, 8.1.16	श्री अनुराग सिंह	पशु सहायक	9/15	5000x1=5000
18.	52, 21.1.16	श्री मधु बाला	प्रधान	3/15 से 12/15	2100x10=21000
19.	53, 21.1.16	श्री शादी लाल	उप प्रधान	–यथोपरि–	1800x10=18000
20.	54, 21.1.16	श्रीमति अनीता देवी	वार्ड सदस्य	–यथोपरि–	200x20=4000
21.	55, 21.1.16	श्रीमति शनिन्द्र कौर	वार्ड सदस्य	–यथोपरि–	200x20=4000
22.	56, 21.1.16	श्रीमति कंचन	–यथोपरि–	–यथोपरि–	200x20=4000
23.	57, 21.1.16	श्री नरेश कुमार	–यथोपरि–	–यथोपरि–	200x20=4000

24.	58, 21.1.16	श्री प्रवीण कुमार	वार्ड सदस्य	3/15 से 12/15	200x20=4000
25.	59, 21.1.16	श्री गुरदेव चन्द	चौकीदार	9/15 से 12/15	8000
				कुल योग	**₹124950**

उपरोक्त उल्लेखित ₹124950 को विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को मानदेय/वेतन के रूप में भुगतान दर्शाया गया है, लेकिन उपरोक्त उल्लेखित भुगतान दर्शाई गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर नस्ति में उपलब्ध नहीं थे व न ही उक्त बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गए। बिल/वाउचरों के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित भुगतानों को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता एवं किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वान्छित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गए जाने सुनिश्चित किए जाएं, ताकि किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को नकारे जाने के अतिरिक्त भुगतान दर्शाई गई राशि की सत्यतता की पुष्टि सम्भव हो सके।

13. ₹0.10 लाख के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत दिनांक 14.3.2014 को 13वें वित्तायोग की रोकड़ वही से निम्नानुसार ₹10154 का व्यय किया गया दर्शाया है।

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.	13, 14.3.14	श्रीमति रोमा शर्मा (तकनीकी सहायक को 2 प्रतिशत कमीशन)	मुरम्मत रास्ता लिंक रोड से मुहल्ला हरिजना	800
2.	14, 14.3.14	मस्ट्रोल माह दिसम्बर 2013	–यथोपरि–	9354
			योग	**₹10154**

उपरोक्त क्रम संख्याः 1 व 2 पर उल्लेखित बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। बिल/वाउचरों के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित व्यय दर्शाई गई राशि की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वान्छित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं, ताकि उक्त व्यय दर्शाई गई राशि की सत्यापना की पुष्टि सम्भव हो सके। अन्यथा राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जाए।

14. ईंट–भठ्ठा मालिकों से अनापति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुरूप 6000 ईटें प्रति वर्ष निःशुल्क प्राप्त न करना :–

प्रस्ताव संख्याः 13, दिनांक 20.7.2010 जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़साला की परिधि में स्थापित 2 ईटें भठ्ठा मालिकों को अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, की शर्तों के अनुरूप

दोनों ईंट भठ्ठा मालिकों को ग्राम पंचायत बड़साला को 6000–6000 ईटें प्रति वर्ष ग्राम पंचायत को सामूहिक विकास कार्य हेतु निःशुल्क प्रदान की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के दौरान ईंट भठ्ठा मालिकों द्वारा ग्राम पंचायत बड़साला को अनापति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुरूप ईटें प्रदान नहीं की है, जोकि अनापति प्रमाण पत्र की शर्तों की गम्भीर अवहेलना है। अतः गर्ग ब्रिक्स व पंजाब ब्रिक्स भठ्ठा मालिकों से अनापति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से प्रति वर्ष 6000–6000 ईटें या ईटों के मूल्य के समतुल्य राशि प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. ₹186 का दुरूपयोग :–

जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 1.3.2015 को रसीदों के अन्तर्गत निम्नलिखित ₹186 की आय प्राप्त की गई है, लेकिन उक्त प्राप्त की गई राशि को रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज न करके उसका दुरूपयोग किया गया है। अतः उक्त राशि को रोकड़ वही में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	दिनांक	रसीद संख्या	राशि
1.	1.3.2015	39920	66
2.	–यथोपरि–	39921	27
3.	–यथोपरि–	39922	66
4.	–यथोपरि–	39923	27
		योग	₹186

16. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत बड़साला द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत बड़साला के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उपसमिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से एक उप समिति गठित की जानी अपेक्षित थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा यह उप समिति गठित न कर स्टोर/सामग्री का अनियमित क्रय किया है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उपसमिति के गठन के बगैर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अपेक्षित था, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़साला द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया है व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना ही स्वयं करवाए गए हैं, जोकि उक्त नियमानुसार अनियमित है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

18. अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को फुट व ट्रॉली के रूप में गलत दर्शाना :–

ग्राम पंचायत बड़साला के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़साला द्वारा सामग्री के रूप में जो भी रेता, बजरा, बजरी, पत्थर इत्यादि क्रय किया गया है, उस सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियां ट्रॉली इत्यादि के रूप में दर्ज किया गया व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरी, बजरा व पत्थर इत्यादि को ट्रॉली इत्यादि के रूप में दर्शाया गया है, जोकि कार्य नियमों की गम्भीर अवहेलना व आपत्तिजनक है। नियमानुसार रेता, बजरी, बजरा, एवं पत्थर इत्यादि की मात्रा को घन फुट या घन मीटर में ही मापा जा सकता है व ट्रॉली/फुट के रूप में नापा/मापा जाना असम्भव है। यहां यह भी उल्लेखित है कि निर्माण/मुरम्मत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक व ब्लॉक स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निष्पादित करवाए जाते हैं, जिनका कार्य केवल निर्माण/मुरम्मत कार्यों को निर्धारित मापदण्डों एवं

तयमानकों के अनुरूप निष्पादित करवाना है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के उक्त सामग्री रेता, बजरी व पत्थर इत्यादि के स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार तैयार किए जाएं, ताकि निष्पादित किए गए कार्यों में प्रयोग दर्शाई सामग्री की वास्तविकता की जांच सम्भव हो सके व किसी भी प्रकार के सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19. माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :–

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्यों हेतु लाखों रूपये की सामग्री जैस रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेण्ट व ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्परूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी, क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

20. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

21. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	103
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर		95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

22. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23. लघु आपत्ति विवरणिका :–यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v),15/2016 खण्ड–1–5817–5820 दिनांकः 08.11.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत बड़साला, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.